वात्सल्य योजना

चर्चा में क्यों?

15 सितंबर, 2021 से जयपुर में देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को पारिवारिक वातावरण में पालन-पोषण एवं देखरेख सुनिश्चित करने हेतु **ज़िला बाल संरक्षण इकाई, जयपुर** द्वारा **राजस्थान सरकार वात्सल्य योजना** का क्रियान्वयन शुरू किया गया।

प्रमुख बिंदु

- **ज़िला बाल संरक्षक इकाई** के सहायक निदेशक रोहित जैन ने बताया कि ज़िले में इस योजना के तहत**किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015** के तहत बच्चों का पारिवारिक वातावरण में पालन-पोषण एवं देखरेख करने के इच्छुक भावी पोषक माता-पिता को चिह्नित करने के लिये आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गए हैं।
- कोई भी इच्छुक भावी पोषक माता-पिता द्वारा कार्यालय सहायक निदेशक, ज़िला बाल संरक्षण इकाई, जयपुर को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। पोषक माता-पिता के माध्यम से **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2(14)** में परिभाषित देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को अस्थाई पारिवारिक देखरेख (दत्तक ग्रहण से अलग) उपलब्ध कराई जाएगी।
- वात्सल्य योजना के तहत पोषक माता-पिता हेतु योग्यता निम्नानुसार है-
    - एक व्यक्ति (महिला या पुरुष) की स्थिति में **न्यूनतम आयु 25 वर्ष** तथा **अधिकतम आयु 65 वर्ष** से अधिक नहीं होनी चाहिये, भावी पोषक माता-पिता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिये, एकल पुरुष किसी बालिका को पालन-पोषण देखरेख में लेने के पात्र नहीं होंगे।
    - भावी पोषक माता-पिता निर्धारित आवदेन-पत्र के साथ आयु संबंधित प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, आयकर रिटर्न का प्रतिचिकित्सीय प्रमाण-पत्र, पुलिस सत्यापन रिपोर्ट एवं दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों की गवाही प्रस्तुत करेंगे।
    - उल्लेखनीय है कि वात्सल्य योजना को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने **वर्ष 2020-21 के बजट भाषण के दौरान लॉन्च** किया था।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/vatsalya-yojana-1